यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, ऋषिकेश के माह 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रमेश कुमार केशरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार, सुपरवाइजर एवं श्री मातवर सिंह राणा लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.02.2021 से 12.02.2021 तक श्री हिमांशु मणि वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.एस. दरियाल, एवं श्री बृजभूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.11.2018 से 15.11.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - ऋषिकेश का समस्त क्षेत्र व टि.ग. समस्त क्षेत्र, पौड़ी यमकेश्वर ब्लाक**

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है-

(₹ लाख मे)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	15550.80
2018-19	15989.00
2019-20	13430.55

(ii) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
2017-18	-	-	-	-	34015000	30650749	-	-
2018-19	-	-	-	-	32091000	31072882	-	-
2019-20	-	-	-	-	8492000	6397385	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय आधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त, राज्य कर**>** उपायुक्त, राज्य कर**>** सहायक आयुक्त, राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, ऋषिकेश** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, ऋषिकेश** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन:-**

राजस्व: माह 03/2020 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: 03/2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 1: कर के न्यूनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 7.91 लाख।

प्रस्तर-2 कर का अनारोपण ` 7.14 लाख ।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 ` 8.20 लाख कर का आरोपण ना किया जाना ।

प्रस्तर-2 आई0टी0सी0 ` 5.39 लाख रिवर्स न किया जाना एवं अर्थदण्ड ` 16.17 लाख आरोपित न किया जाना।

प्रस्तर-3 देय कर निर्धारित समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.55 लाख ।

प्रस्तर-4 संविदाकार को ` 0.70 लाख अधिक का टी0डी0एस0 का रिफण्ड किया जाना ।

प्रस्तर-5 पूर्ण दर से करारोपण न किये जाने के कारण राजस्व क्षति ` 0.30 लाख ।

प्रस्तर-6 उपकर (Cess) का अनारोपण ` 0.27 लाख ।

व्यय की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

STAN

STAN-01 फार्मों का सत्यापन न कराया जाना ।

(राजस्व की लेखापरीक्षा)

<u>भाग- 2 (अ)</u>

प्रस्तर- 1: कर के न्यूनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 7.91 लाख।

अधिसूचना सं0 /2012/02(120)/XXVII(8)/12 दिनांक 28.05.2012 से अनुसूची-II(ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 5% की दर से करदेयता निर्धारित है ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0 नि0) राज्य कर, ऋषिकेश की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री यूनीमेट प्रोफाईल प्रा0 लि0, टिन नं0 05009715933, क0 नि0 वर्ष 2012-13 में ` 3,62,56,215 का भुगतान प्राप्त किया था, जिसमें से ` 3,14,02,640 पर व्यापारी द्वारा 4% की दर से करदेयता स्वीकार किया था । किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि की बिक्री को त्रुटिपूर्ण मानते हुये सम्पूर्ण धनराशि ` 3,62,56,215 के आयातित आयरन शीट, एंगिल, शेप सेक्शन की बिक्री मानते हुये 4% की दर से कर आरोपित किया । किन्तु उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार दिनांक 28.05.2012 से 5% की दर से कर देयता है ।

अतः ` 3,62,56,215 पर अन्तरीय दर 1% की दर से ` 3,62,562.15 और कर आरोपणीय था, जिसे आरोपित नहीं किया गया एवं दिनांक 01.10.2012 से स्वीकृत कर ` 3,14,026 (अर्थात् ` 3,14,02,640 x 1%) पर 15% वार्षिक की दर से जनवरी, 2021 (लेखापरीक्षा दिनांक के पूर्व माह तक) कुल 100 माह का ब्याज ` 3,92,533 एवं आरोपित कर ` 48,535.75 पर 100 माह का 9% की दर से ब्याज ` 36,402 कुल ब्याज ` 4,28,935 भी देय है ।

इस प्रकार, ` 791,497 (₹4,28,935+₹3,62,562) कर एवं ब्याज मिलाकर कर के न्यूनारोपण के कारण राजस्व हानि हुयी।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि व्यापारी का पक्ष प्राप्त कर कर आरोपण की कार्यवाही जाँचोपरान्त की जायेगी ।

अतः ` 7,91,497 के राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(अ)</u>

प्रस्तर-2 कर का अनारोपण ` 7.14 लाख ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0 नि0) राज्य कर, ऋषिकेश की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री डी0एफ0ओ0, उत्तरकाशी, क0नि0 वर्ष 2015-16 में व्यापारी द्वारा 16 प्रपत्र XI के विरूद्ध ` 3,51,04,314 की रेजिन की बिक्री की थी । किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 09 प्रपत्र XI के विरूद्ध ` 3,07,39,390 की बिक्री पर कर आरोपित किया। इस प्रकार, ` 43,64,924 पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित नहीं किया।

इसी प्रकार, व्यापारी द्वारा ` 1,97,810 के प्रकाष्ठ की बिक्री की थी, जबकि क0नि0 अधिकारी द्वारा ` 1,22,075 पर 13.5% की दर से ` 16,480 का कर आरोपित किया । जबकि प्रकाष्ठ पर अधिसूचना सं0 2012/10(120)/XXVII(8)/2012 दिनांक 30.05.2012 के अनुसार M or I पर 15% की दर से कर देयता है ।

इसी प्रकार, व्यापारी सर्वश्री डी0 एफ0 ओ0, उत्तरकाशी, क0नि0 वर्ष 2016-17 में ` 7,21,03,399 की लीसा की बिक्री एवं प्रकाष्ठ की बिक्री ` 2,45,320 की दर्शायी थी। जबकि क0नि0 अधिकारी द्वारा लीसा की बिक्री ` 2,09,56,420 एवं ` 2,33,04,779 कुल ` 4,42,61,199 की बिक्री पर क्रमशः 2% एवं 3% की दर से कर आरोपित किया एवं प्रकाष्ठ की बिक्री पर ` 2,42,320 पर 15% की दर से कर आरोपित किया । इस प्रकार, ` 2,78,42,200 (₹ 7,21,03,399 - ₹ 4,42,61,199) की लीसा एवं ` 3,000 (₹ 2,45,320 - ₹ 2,42,320) प्रकाष्ठ की बिक्री पर कर आरोपित नहीं किया गया।

अतः क0नि0 वर्ष 2015-16 एवं क0नि0 वर्ष 2016-17 निम्न कर और आरोपणीय था, जिसे नहीं किया गयाः-

क0नि0 वर्ष 2015-16 (लीसा की बिक्री) ` 43,64,924 x 3% = ` 1,30,947.72

क0नि0 वर्ष 2015-16 (प्रकाष्ठ की बिक्री) ` 1,97,810 x 15% = ` 29,671.50

प्रकाष्ठ पर आरोपित किया गया कर ` 1,22,075 x 13.5% = ` 16,480

प्रकाष्ठ पर कम आरोपित किया गया कर=` 13,191.50 (अर्थात् ` 29,671.50-` 16,480)

क0नि0 वर्ष 2015-16 में कुल कम आरोपित कर = ` 1,30,947.72 + ` 13,191.50

= ` 1,44,139.22

क0नि0 वर्ष 2016-17 (लीसा की बिक्री)

` 12,38,897 x 3% = ` 37,166.91

शेष ` 2,66,03,303 x 2% = ` 5,32,066.06

प्रकाष्ठ की बिक्री ` 3,000 x 15% = ` 450

इस प्रकार, क0नि0 वर्ष 2015-16 में ` 1,44,139.22 एवं क0नि0 वर्ष 2016-17 में ` 5,69,682.97 कुल कर ` 7,13,822.19 कम कर का आरोपण हुआ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि क0नि0 वर्ष 2015-16 में व्यापारी द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की थी। अतः नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी का पक्ष प्राप्त कर जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-1 ` 8.20 लाख कर का आरोपण ना किया जाना ।

कार्यालय उपायुक्त, राज्य कर विभाग, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा के दौरान व्यौहारी सर्वश्री श्याम सीमेन्ट, टिन संख्या 05003626855 की वर्ष 2016-17 की अन्तिम कर निर्धारण पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा दाखिल आडिट रिपोर्ट में ` 56,53,026 डिस्काउण्ट की धनराशि को व्यापारिक खाते में ना दिखाकर लाभ हानि खाते के दाहिने पक्ष में दर्शाया गया है। जबकि यह धनराशि कम्पनी से की गयी खरीद पर प्राप्त हुई थी, इसलिये इस धनराशि को कुल परचेज में से घटाया जाना चाहिये था तथा प्राप्त आई0टी0सी0 को भी रिवर्स किया जाना चाहिये था। कम्पनी के द्वारा ` 56,53,026 के जारी क्रेडिट नोट्स भी जारी नहीं किये गये थे, यदि यह राशि ` 56,53,026 परचेज से कम की जाती तो संगत वर्ष की बिक्री धनराशि बढ़ जाती जिस पर कर आरोपणीय होना था। इसलिये इस धनराशि को प्रान्तीय बिक्री मानते हुये 14.5 प्रतिशत से ` 8,19,688.77 कर आरोपण किया गया है। व्यापारी के गोदाम की क्षमता भी केवल 1000 कट्टे सीमेन्ट स्टॉक करने की थी। जैसा कि गोपनीय पत्रावली की सर्वे रिपोर्ट में अंकित था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा बताया गया कि सम्प्रेक्षा दल द्वारा ` 56,53,026 के डिस्काउण्ट को लाभ हानि खाते के दाहिने पक्ष पर दर्शाये जाने पर स्थिति स्पष्ट करने तथा इस पर आई0टी0सी0 रिवर्स किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त की गई है, इस सम्बन्ध में व्यापारी का पक्ष प्राप्त कर सम्प्रेक्षा दल को स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।

विभाग द्वारा सम्प्रेक्षा को यह आश्वासन दिया गया है कि व्यापारी का पक्ष प्राप्त कर सम्प्रेक्षा दल को स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा। इससे स्पष्ट होता है कि अन्तिम कर निर्धारण के समय इस तथ्य का संज्ञान लिये बिना ही व्यापारी को कर मुक्ति प्रदान की गयी थी, जो कि वैट अधिनियम, 2005 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अनुचित थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-2 आई0टी0सी0 ` 5.39 लाख रिवर्स न किया जाना एवं अर्थदण्ड ` 16.17 लाख आरोपित न किया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(xi) के अन्तर्गत यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जाँच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में पाँच हजार या दावाकृत धनराशि के तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने का दायी होगा ।

[A] कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पंजीकृत ब्यौहारी सर्वश्री अजय ट्रेड कार्पोरेशन प्रा0 लि0, रेलवे रोड, ऋषिकेश (टिन सं0 05015775426) कर निर्धारण वर्ष 2015-16 (कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2019) द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 ` 2,05,19,338 में से कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर मिसमैच पाई गई आई0टी0सी ` 2,87,464 का लाभ अनन्तिम रूप से (Provisionally) प्रदान किया गया । तदनन्तर, कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित खण्ड से सत्यापन के पश्चात् ब्यौहारी द्वारा सर्वश्री गुप्ता इलेक्ट्रिक कम्पनी, हरिद्वार तथा सर्वश्री दास पोलीमर, हरिद्वार से क्रय पर दावाकृत आई0टी0सी0 क्रमशः ` 1,972 एवं ` 1,710 असत्यापित पाई गई । जिसे कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा उक्त आई0टी0सी0 ` 3,682 (अर्थात् ` 1,972 + ` 1,710) रिवर्स नहीं किया गया, जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है तथा उपरोक्त धारा के अन्तर्गत ` 11,046 (अर्थात् ` 3,682 x 3) अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया ।

[B] अन्य व्यापारी सर्वश्री हिमालय बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर्स, टिन नं0 05008921503 की वर्ष 2015-16 द्वारा पंजीकृत व्यौहारियों से ` 3,32,13,267 की खरीद पर ` 32,05,986

आई0टी0सी0 का दावा किया गया है । इस सम्बन्ध में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दावाकृत खरीद धनराशि ` 27,59,299 पर ` 2,48,868 का दावा गलत पाया गया।

[C] व्यापारी सर्वश्री बी0 के0 सीमेन्ट सप्लायर्स, टिन सं0 05003456232 की वर्ष 2015-16 द्वारा विभिन्न पंजीकृत फर्मों से अपनी प्रान्तीय खरीद अधिक दर्शाते हुये अपनी रिटर्नों में ` 2,40,406 अधिक आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया है।

[D] व्यापारी सर्वश्री मनेछा सीमेन्ट स्टोर, टिन नं0 05003556433 की वर्ष 2016-17 द्वारा विभिन्न पंजीकृत फर्मों से अपनी प्रान्तीय खरीद अधिक दर्शाते हुये अपनी रिटर्नों में ` 46,058 अधिक आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया है।

इस प्रकार, उपरोक्त 04 व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 कुल ` 5,39,014 (अर्थात् ` 3,682 + ` 2,48,868 + ` 2,40,406 + ` 46,058) रिवर्स योग्य है एवं नियमानुसार ब्याज भी देय है तथा उपरोक्त धारा 58(1)(xi) के अन्तर्गत अर्थदण्ड ` 16,17,042 (अर्थात् ` 5,39,014 x 3) आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बिन्दु A के सम्बन्ध में अवगत कराया कि व्यापारी का पक्ष प्राप्त कर अर्थदण्ड आरोपण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा एवं बिन्दु B से D के सम्बन्ध में अवगत कराया कि मिसमैच पायी गयी आई0टी0सी का अनन्तिम लाभ कर निर्धारण आदेश में दिया गया है तथा सम्बन्धित का निर्धारण अधिकारी को पत्र भेज कर खरीद का सत्यापन किया जा रहा है। यदि असत्यापित आई0टी0सी0 पायी जाती है तो रिवर्सल की कार्यवाही की जायेगी एवं अर्थदण्ड व्यापारी का पक्ष प्राप्त कर निर्णय लिया जायेगा। जैसा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी मा0 ज्वाईन्ट कमिश्नर (अपील) ने एक प्रकरण में मिसमैच ITC का सत्यापन करने के उपरान्त लाभ देने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आई0टी0सी0 असत्यापित पाये जाने पर ` 5.39 लाख आई0टी0सी रिवर्स न किये जाने एवं अर्थदण्ड ` 16.17 लाख आरोपित न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-3 देय कर निर्धारित समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.55 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप मेः-

(i) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि देय कर 10 हजार रूपये तक हो और देय कर का 50% यदि देय कर 10 हजार रूपये से अधिक हो, का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)***,

(ii) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से)***,

(iii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से)*** ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि 07 व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 23,74,315 को विलम्ब से जमा किया गया था । अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार न्यूनतम

` 2,54,910 (अर्थात ₹ 2.55 लाख) अर्थदण्ड देय था जिसे आरोपित नहीं किया गया **(विवरण संलग्न है)** ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संप्रेक्षा दल द्वारा व्यक्त की गयी आपत्ति के सम्बन्ध में व्यापारी का पक्ष प्राप्त कर अर्थदण्ड आरोपण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

अतः देय कर निर्धारित समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.55 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

"संलग्न विवरण"

क्रम सं0	व्यापारी का नाम	संगत वर्ष में सकल विक्रय धन (` में)	कर निर्धारण वर्ष/कर निर्धारण की तिथि	माह	अदा कर (` में)	कर भुगतान की अनुमन्य तिथि	कर भुगतान की वास्तविक तिथि	अर्थदण्ड का न्यूनतम दर (प्रतिशत में)	न्यूनतम अर्थदण्ड (` में)	कर भुगतान में विलम्ब
1.	सर्वश्री सागर केटर्स, जौलीग्राण्ट, ऋषिकेश । (TIN No. 05013945036)	5,51,74,819	2015-16 20.06.2019	जुलाई, 2015	1,00,000	20.08.2015	30.10.2015	20%	20,000	2 माह 10 दिन
				नवम्बर, 2015	2,68,242	20.12.2015	18.03.2016	20%	53,648	2 माह 28 दिन
								योग (i)	**73,648**	
2.	सर्वश्री हरि स्टील, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल । (TIN No. 05007509086)	3,95,73,313	2015-16 04.06.2019	मार्च, 2016	87,450	20.04.2016	19.07.2016	20%	17,490	3 माह
								योग (ii)	**17,490**	

3.	सर्वश्री न्यू गोस्वामी ज्वैलर्स, क्षेत्र रोड, ऋषिकेश । (TIN No. 05010319564)	10,12,70,888	2016-17 23.12.2019	जून, 2016	56,460	20.07.2016	02.08.2016	5%	2,823	13 दिन
				जुलाई, 2016	23,619	20.08.2016	05.09.2016	5%	1,181	16 दिन
				सितम्बर, 2016	1,24,015	20.10.2016	13.11.2016	5%	6,201	23 दिन
				नवम्बर, 2016	1,25,174	20.12.2016	10.02.2017	20%	25,035	1 माह 21 दिन
				दिसम्बर, 2016	1,34,807	20.01.2017	10.02.2017	5%	6,740	21 दिन
				जनवरी, 2017	1,81,023	20.02.2017	27.02.2017	5%	9,051	7 दिन
				फरवरी, 2017	2,14,785	20.03.2017	21.03.2017	5%	10,739	1 दिन
				मार्च, 2017	1,13,799	20.04.2017	24.05.2017	20%	22,760	1 माह 4 दिन
								योग (iii)	**84,530**	

4.	सर्वश्री सागर स्टोन क्रेशर, चौरास, टिहरी गढ़वाल । (TIN No. 05005784814)	2,66,48,290	2016-17 31.01.2020	मई, 2016	1,55,751	20.06.2016	20.12.2017	20%	31,150	18 माह
				नवम्बर, 2016	4,77,446	20.12.2016	26.12.2016	5%	23,872	6 दिन
								योग (iv)	**55,022**	
5.	सर्वश्री बसन्त राम नरेश कुमार, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश । (TIN No. 05003463119)	2,39,36,654	2016-17 18.12.2019	नवम्बर, 2016	22,300	20.12.2016	20.01.2017	20%	4,460	1 माह 1 दिन
				दिसम्बर, 2016	23,600	20.01.2017	14.02.2017	5%	1,180	25 दिन
				मार्च, 2017	56,710	20.04.2017	19.05.2017	5%	2,836	1 माह
								योग (v)	**8,476**	
6.	सर्वश्री नन्दा सेल्स कार्पोरेशन, लक्ष्मण	3,54,09,120	2016-17 18.12.2019	अप्रैल, 2016	15,060	20.05.2016	26.05.2016	5%	753	6 दिन
				मई, 2016	15,550	20.06.2016	27.06.2016	5%	778	7 दिन

	झूला रोड, ऋषिकेश । (TIN No. 05003792434)			मार्च, 2017	16,900	20.04.2017	25.04.2017	5%	845	5 दिन
					3,436	20.04.2017	26.04.2017	5%	172	6 दिन
								योग (vi)	**2,548**	
7.	सर्वश्री आर0 सी0 इण्टरप्राईजेज, हीरा लाल मार्ग, ऋषिकेश (TIN No. 05010223825)	3,89,51,280	2016-17 13.11.2019	मई, 2016	35,208	20.06.2016	23.07.2016	20%	7,042	1 माह 4 दिन
				जुलाई, 2016	48,475	20.08.2016	24.08.2016	5%	2,424	4 दिन
				अक्टूबर, 2016	36,185	20.11.2016	29.11.2016	5%	1,809	9 दिन
				नवम्बर, 2016	38,420	20.12.2016	23.12.2016	5%	1,921	3 दिन
								योग (vii)	**13,196**	
					23,74,415	**महायोग [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)]**			**2,54,910**	

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-4 संविदाकार को ` 0.70 लाख अधिक का टी0डी0एस0 का रिफण्ड किया जाना ।

कार्यालय उपायुक्त, राज्य कर विभाग, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा के दौरान संविदाकार फर्म सर्वश्री बेताल सिंह, बौराड़ी, नई टिहरी, वर्ष 2016-17 टिन सं0 05003680302 की अन्तिम कर निर्धारण पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार को विभिन्न संविदी विभागों से सिविल निर्माण का कार्य करने पर कुल ₹ 5,05,63,177 का भुगतान एवं ` 24,48,881 टी0डी0एस0 कटौती के रूप में जमा होना अन्तिम कर निर्धारण आदेश में दर्शाया गया है। जबकि प्रारूप-8 के अनुसार संगत वर्ष में कुल भुगतान ` 4,87,89,378 एवं TDS ` 23,78,461 ही जमा था। उपरोक्त प्राप्त धन कुल धनराशि ` 5,05,63,177 पर 2 प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि का लाभ ` 10,11,263 देते हुये टी0डी0एस0 की अवशेष धनराशि ` 14,37,618 संविदाकार फर्म को रिफण्ड किया गया था, जो कि अनियमित था। क्योंकि संगत वर्ष 2016-17 में संविदाकार फर्म का प्रारूप-8 के अनुसार केवल ` 23,78,461 टी0डी0एस0 कटौती को ही कोषागार में जमा किया गया था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रारूप 8 सं0 049050 में दिये गये विवरण में ` 6,80,708 माह 01/2016 में एवं ` 4,92,959 माह 03/2016 में भुगतान किया गया। इस प्रकार, इस पर काटी गयी TDS की धनराशि ` 40,842 एवं ` 29,578 कुल धनराशि ` 70,420 वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित थी, जिसका लाभ दे दिया गया। इसलिये संगत वर्ष में संविदाकार को ` 13,67,198 की रिफण्ड किये जाने योग्य था, जबकि संविदाकार को ` 14,37,618 रिफण्ड किया गया है अर्थात् ` 70,420 अधिक टी0डी0एस0 का रिफण्ड किया गया है, जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी तथा ` 53,46,520 अन्तिम स्टॉक की दर्शायी गयी धनराशि से सम्बन्धित क्रय निर्माण सामग्री की कुल धनराशि एवं संविदा में प्रयोज्य निर्माण सामग्री धनराशि से सम्बन्धित अनुबन्धवार मैटिरीयल खपत प्रमाणपत्र भी अन्तिम कर निर्धारण में नहीं प्राप्त किया गया था। जो कि प्राप्त किया जाना अन्तिम स्टॉक की धनराशि का सत्यापन करने के लिये अतिआवश्यक था। इसके साथ ही, वार्षिक विवरणी, वैट आडिट रिपोर्ट, प्रारूप-8 एवं कर निर्धारण आदेश में उल्लिखित भुगतान की धनराशि में आपस में भिन्नता भी थी।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि व्यापारी को प्रारूप-8 के अनुसार ही टी0डी0एस0 कटौती का लाभ दिया गया है। इस स्थिति में व्यापारी को रिफण्ड की अधिक धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि अन्तिम स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख/विवरण संविदाकार से प्राप्त कर सम्प्रेक्षा दल को प्रेषित कर दिया जायेगा।

विभाग द्वारा स्वयं ही स्वीकार किया गया है कि प्रारूप-8 के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती धनराशि का लाभ संविदाकार को दिया गया है, जबकि प्रारूप-8 में अंकित वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित टी0डी0एस0 की धनराशि का योग करने पर ` 23,78,461 की कटौती करने का प्रमाणपत्र विभिन्न विभागों द्वारा दिया गया है और अन्तिम स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख के साथ मैटिरीयल खपत प्रमाण संविदाकार से प्राप्त करके उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-5 पूर्ण दर से करारोपण न किये जाने के कारण राजस्व क्षति ` 0.30 लाख ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), राज्य कर, ऋषिकेश की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री स्पैरो टैक्नोलॉजी, टिन नं0 05009448213 क0नि0 वर्ष 2014-15 के कर निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया है कि ` 6,75,43,211 की मोल्ड्स डाइज आदि की बिक्री प्रपत्र 11 के विरूद्ध व्यापारी द्वारा स्वीकार किया गया । फार्म 11 से आच्छादित ` 6,72,79,234 की बिक्री थी । (जैसा कि व्यापारी द्वारा अपने अनुलग्नक में उल्लेख किया था)। ` 2,63,977 की बिक्री के फार्म 11 के अभाव में पूर्ण दर से कर आरोपित किया जाना था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया।

अतः ` 2,63,977 पर पूर्ण दर से 11.5% की दर से ` 30,357 और कर आरोपणीय था, जिसे आरोपित नहीं किया गया । इस पर जमा करने के दिनांक तक 15% की दर से ब्याज भी देय है ।

उक्त के अतिरिक्त कर निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया था कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत फार्म-"सी" की सूची में ग्राईंडिंग मशीन, थिनर प्लास्टिक क्रेट टूल्स आदि की खरीद के विरूद्ध फार्म-"सी" जारी किये गये। केन्द्रीय पंजीयन में व्यापारी उक्त की खरीद हेतु अधिकृत नहीं है। व्यापारी के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

किन्तु लेखापरीक्षा दिनांक तक अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की गयी थी।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया कि फार्म-11 से अनाच्छादित बिक्री एवं फार्म-"सी" के विरूद्ध अनधिकृत वस्तुओं की खरीद के सम्बन्ध में व्यापारी का पक्ष जानकर जांचोपरान्त कार्यवाही एवं उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-6 उपकर (Cess) का अनारोपण ` 0.27 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 195/2016/17(120)/XXVII(8)/2014 दिनांक 02 मार्च, 2016 के अनुसार, खैनी, तम्बाकू, सिगरेट, गुटका विनिर्माता के बिन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किये जाने के उपरान्त राज्य में प्रथम बिक्री के बिन्दु पर माल के 2% उपकर देय है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), राज्य कर, ऋषिकेश की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री विजया एजेन्सीज, क0नि0 वर्ष 2016-17 द्वारा प्रान्त बाहर से ` 13,40,083 का तम्बाकू आयात किया । व्यापारी द्वारा ` 13,53,310 की तम्बाकू की बिक्री की गयी थी जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2% की दर से उपकर नहीं लगाया।

अतः ` 13,53,310 पर 2% की दर से ` 27,066 उपकर देय है जिसे आरोपित नहीं किया गया । जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि व्यापारी का पक्ष प्राप्त कर उपकर आरोपित के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

STAN

STAN-01 फार्मों का सत्यापन न कराया जाना ।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के पत्रांकः 2438/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/प्रवर्तन अनुभाग/2014-15/ दे0दून दिनांक 02/09/2014 के अनुसार ` 5,00,000 (पाँच लाख) या उससे अधिक धनराशि के प्रत्येक फार्म/घोषणा पत्र (फार्म-'सी'/फार्म-'एफ'/फार्म-'एच') के सत्यापन का कार्य सम्बन्धित सम्भाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के कार्यालय में स्थापित सत्यापन प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाना है । इसके अतिरिक्त संवेदनशील वस्तुएं जैसे- आयरन एण्ड स्टील, खाद्य तेल आदि के सत्यापन हेतु ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सत्यापन कक्ष में तैनात अधिकारी या उनके संभाग में तैनात कर निर्धारण अधिकारी को भेजकर भी सत्यापन करायेंगे ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) राज्य कर, ऋषिकेश की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा फार्म-सी/फार्म-एफ/फार्म-एच का सत्यापन नहीं कराया जा रहा था।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि घोषणा पत्रों का सत्यापन कार्य समय-समय पर किया जाता है । संदिग्ध फार्म की स्थिति में सत्यापन की कार्यवाही की गयी है । आडिट अवधि में कोई मामला प्रकाश में न आने के कारण सत्यापन प्रेषित नहीं किया गया है ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयुक्त कर के पत्र के अनुसार ` 5 लाख या उससे अधिक धनराशि के प्रत्येक फार्म/घोषणा पत्र के सत्यापन का कार्य किया जाना है एवं इसके अतिरिक्त संवेदनशील वस्तुएं जैसे आयरन एण्ड स्टील, खाद्य तेल आदि का भी सत्यापन कराया जाना है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
SRG-CT-01/2006-07	02,03	01,02	-
SRG-CT-10/2008-09	1	02	-
SRG-CT-34/2009-10	01,02	-	-
SRG-CT-24/2010-11	02,03	01	-
SRA-CT-30/2011-12	-	01	-
RS-CT-05/2012-13	-	01	-
RS-CT-05/2014-15	-	01	-
RS-CT-31/2015-16	01,02,03,04	01,02	-
RS-CT-16/2016-17	-	01,02,03	-
CT-98/2017-18	-	01	01
CT-98/2018-19	01	01,02,03	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित कार्य - टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, ऋषिकेश** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: **शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएःशून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री श्याम सुन्दर तिरूवा	उपायुक्त (क.नि.) राज्य कर ऋषिकेश

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV